



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

(मानचित्र स्वीकृत-पत्र)

मानविक सं० : २९७ / वी०एफ०एच० / ११ / १४-१५

दिनांक : ३१.५१.१७

श्री मनीष बंसल,

निवासी-601, 602, हिल हाउस अपार्टमेंट,
रघुनाथ सूरेश प्लाजा, एम०जी०रोड, आगरा।

रघुनाथ सुरेश प्लाजा, एम०जी०रोड, आगरा।

आपके प्राथमिक दिनांक 25.11.14 के सम्बन्ध में आपका शर्तावधारी अपार्टमेंट मानचित्र संख्या : 297 / बी०एफ०एच०/11/14-15 आगरा पर प्रस्तावित होटल कॉम्पलैक्स कम सर्विस अपार्टमेंट मानचित्र संख्या : 297 / बी०एफ०एच०/11/14-15 की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18.11.15 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1. यह मानवित्र रवीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
 2. मानवित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे—नगर निगम, एडीओए) किसी अन्य व्यवित्र का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
 3. भवन मानवित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
 4. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी, उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
 5. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
 6. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
 7. स्वीकृत मानवित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी गोके पर कभी भी जौच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानवित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
 8. यह मानवित्र उठाने के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
 9. सड़क पर आथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
 10. सुपरदीजन एवं स्पेसीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
 11. पहला द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 20.10.15 का पालन करना होगा।
 12. पर्यावरण की दृष्टि से उठाने के अन्तर्गत नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
 13. स्वीकृत मानवित्र इसके साथ संलग्न है। भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अंदर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा विना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
 14. 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटॉप हार्डिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
 15. 12.00 मीटर से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
 16. सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करना तथा मानवित्र निर्गत होने से पूर्व अग्निशमन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. भवन में उपयोग से पूर्व समूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं समूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्डस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
19. मार्ग विस्तार हेतु स्थल पर रोड के गांग को छोड़ते हुये निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्रीबाल का निर्माण रोड वाइडनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
20. मू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की रिथति में मानवित्र स्वतः निरस्त गाना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
21. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जगा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
22. नाली, चक रोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
23. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफटी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
24. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारावान लघ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा उल्लंघन के व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्त की जा सकती है।
25. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हों, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप में भूल से इन नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अनावश्यक होगी।
26. ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा-293 के अधीन पृथक् स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
27. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह इटा दिये जायें।
28. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही रेन वाटर हार्डस्टिंग के मद में जगा करायी गयी जमानत घनराशि अवमुक्त की जायेगी।
29. नवन निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15(3) के अन्तर्गत इस प्रतिवंध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू-स्वामित्व के लिए विधित बाध्य नहीं है।
30. प्रस्तावित मानवित्र में बेसमेन्ट होने के कारण भू-स्वामी द्वारा जब तक जिलाधिकारी कार्यालय से मिट्टी खनन अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली जाती है तब तक बेसमेन्ट की खुदाई प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
31. अतिरिक्त शर्त स्वीकृत मानवित्र पर चस्पा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
32. क्रय योग्य एफ.ए.आर. हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.01.2015 के कार्यवृत्त में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

33. स्थल पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य ऐसे श्रमिकों के माध्यम से कराया जायेगा जिनका पंजीयन अमविभाग में अवश्य हो।
34. निर्माण सामग्री अथवा मलबा को मैटल्ड रोड पर स्टोर नहीं किया जायेगा। मैटल्ड रोड से अलग निर्माण सामग्री को एकत्र करने हेतु स्थल का चिल्कांकन करना होगा। माठराष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र सं0-21/2014 (वर्धमान कौशिक बनाम सरकार) में दिये गये आदेशों का अनुपालन आवेदक को करना होगा।
35. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन-2010 के अनुसार आवेदक/भवन स्वामी निर्माण स्थल, सङ्क, गली व कालोनी में स्थित निर्माण सामग्री को ढककर रखवायेगा तथा भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण ऐसे स्थान पर किया जाये कि वह उड़कर हवा में न फैले। आवेदक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन-2010 में निहित समस्त निर्देशों का अक्षण: अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
36. भवन निर्माण सामग्री के आवागमन हेतु प्रयोग होने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर लाया व ले जाया जायेगा तथा वाहनों से उतारने के बाद आवश्यक साफ-सफाई की जायेगी।
37. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे हैं अथवा निर्माण सामग्री को छढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें गास्क उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि डस्ट उनके स्वारप्थ में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जांच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा।
38. पत्थर काटने व ग्राइडिंग का कार्य करते समय पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल न उड़कर जायें, उसकी उचित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी तथा निर्माण स्थल पर हवा को रोकने के लिए दीवार आदि भी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

संलग्नक : 1— एक सेट स्वीकृत मानचित्र।
2— शर्तों की प्रति जो कि मानचित्र पर भी चल्पा है।

रामेश्वर
रामेश्वर
आठविंशती, औरंगाबाद

प्रतिलिपि :

प्रवर्तन खण्ड, आठविंशती, आगरा को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आठविंशती, आगरा।